प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2017–2018

ध्येय: खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण–संवर्द्धन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राजस्थान

उपभोक्ता मामले विभाग
राजस्थान

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक
आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उपभोक्ता मामले विभाग

अनुक्रम

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	विभाग की स्थापना	1
3	कार्य संपादन	2
4	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	4
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013	5
5	नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड	6
6	आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	7
7	विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएं	8
8	चीनी	10
9	केरोसीन	10
10	एलपीजी	11
11	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	12
12	उपभोक्ता मामले विभाग	25–30
14	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	31
15	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	32–39
16	परिशिष्ठ 1 से 8	40–53

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। इस जनसंख्या में 515.00 लाख ग्रामीण और 170.48 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों, यथा– बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरम्भ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन एवं उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग की स्थापना की गई । पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986

लागू करने के साथ ही राज्य में भी वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी सम्पादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून, 2001 को विभाग का नाम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग किया गया। कालान्तर में मंत्रीमण्डल की आज्ञा 205/2013 के क्रम में अंकित खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से "उपभोक्ता मामले विभाग" को पृथक किये जाने के लिए राजस्थान कार्यविधि नियमों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं :–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की माँग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण करना।
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों, यथा– गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की खुले बाजार में कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम एवं नेफेड के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

विभाग(मुख्यालय स्तर पर) में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

(स्थिति जनवरी,2018)

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक	1	1	0
2	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
3	उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव	1	1	0

4	उपायुक्त एवं उपशासन सचिव	1	0	1
5	सहायक आयुक्त	1	1	0
6	उप विधि परामर्शी	1	0	1
7	जिला रसद अधिकारी	3	1	2
8	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(उप निदेशक)	1	1	0
9	निजी सचिव	1	1	0
10	लेखाधिकारी	1	1	0
11	सहायक निदेशक(सांख्यिकी)	1	1	0
12	प्रोग्रामर	2	2	0
13	जनसम्पर्क अधिकारी	1	1	0
14	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0
15	कार्यालय अद्यीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
16	प्रवर्तन अधिकारी	2	1	1
17	प्रवर्तन निरीक्षक	2	0	2
18	सहायक कार्यालय अद्यीक्षक	5	0	5
19	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	0
20	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
21	निजी सहायक	1	0	1
22	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	3	3	0
23	सहायक प्रोग्रामर	1	0	1
24	कनिष्ठ लेखाकार	5	4	1
25	शीघ्र लिपिक	2	0	2
26	लिपिक ग्रेड–प्रथम	14	13	1
27	लिपिक ग्रेड–द्वितीय	27	20	7
28	वाहन चालक	1	0	1
29	जमादार	2	1	1
30	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18	17	1

जिला स्तर पर

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	जिला रसद अधिकारी	55	32	23
2	प्रवर्तन अधिकारी	103	47	56
3	प्रवर्तन निरीक्षक	313	120	193

राज्य खाद्य आयोग स्तर पर संस्थापन (मुख्यालय)

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	सूचना सहायक	5	5	0
2	प्रवर्तन निरीक्षक	4	0	4
3	वरिष्ठ निजी सहायक	3	0	3

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया जा रहा है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य हैं :–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गेहूँ, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स के माध्यम से तहसील/पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर आवंटित सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती हैं।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 25697 उचित मूल्य की दुकानें स्थापित/कार्यरत हैं। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना **परिशिष्ट– "1"** पर हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं के आवंटन–उठाव का विवरण **परिशिष्ट–"2"** पर है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर,2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए राज्य के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों एवं अन्य पात्र परिवारों हेतु प्रतिमाह 2.32लाख मै.टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित पात्र परिवारों/लाभार्थियों को "खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में" जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 **परिशिष्ट–"3"** पर है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्राप्त गेहूं का चयनित 440 लाख पात्र लाभार्थियों को (अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 35किलोग्राम एवं अन्य पात्र परिवारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5किलोग्राम गेहूं 2.00 रूपये प्रति किलोग्राम) नियमानुसार बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात पॉस मशीनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का जिलेवार विवरण (स्थिति माह जनवरी,2018) **परिशिष्ट–"4"** पर है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा माह सितम्बर,2016 से निरन्तर ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से गेहूं का जिलेवार आवंटन किया जा रहा है। ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से आवंटन करने के पश्चात खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है। विभाग द्वारा ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वैबसाइट **food.raj.nic.in** पर भी पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.12.2017 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा–15 की उपधारा (1) का प्रयोग करते हुए समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) को अपनी–अपनी अधिकारिता के जिले हेतु उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है। ऐसे मामले जिनमें शिकायत जिला कलक्टर के विरूद्ध हो, उन मामलों के लिए संबंधित संभाग

के संभागीय आयुक्त को, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा 16 की उपधारा(1) द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने एवं उसका पुर्नविलोकन करने के प्रयोजन के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन करने एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा 28 के तहत उचित मूल्य दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण करवाने संबंधी नियमों के प्रारूपण की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वंचित पात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा की सूचियों में शामिल कराने एवं खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित अपात्र व्यक्ति को निष्कासित करने के लिए अपीलीय प्रकिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति सादा कागज पर प्रार्थना पत्र लिख उसके साथ यथासंभव दस्तावेज संलग्न कर संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के साथ–साथ जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकिया का सरलीकरण करते हुए आदेश दिनांक 29.09.2017 द्वारा पात्र व्यक्ति विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यह एक सतत् प्रकिया है।

नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्डस्

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण कार्य के अन्तर्गत राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्डस् बनाने का कार्य किया जा रहा हैं। संपूर्ण राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्डस् तैयार किये जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2010 पार्ट–2 दिनांक 01.06.2012 से सभी जिला कलक्टर्स/जिला रसद अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

1 अप्रैल, 2015 से नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्डस् बनाने एवं राशनकार्ड्स में सदस्यों के नाम जोड़ने/घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा रहा है। नवीन डिजिटाईज्ड राशनकार्डस् बनाने के कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 तथा प्रवर्तन निरीक्षको को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 एवं 11.12.2015 को जारी की जाकर निर्देशित किया जा चुका है। राशनकार्डस् बनाने का कार्य एक सतत् प्रकिया है।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत "अन्त्योदय परिवारों" को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार तथा "अन्य पात्र लाभार्थियों" को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. राज्य के अन्त्योदय श्रेणी में चयनित बांरा जिले के सहरिया जनजाति एवं उदयपुर जिले के कथौड़ी परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

3. अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को चीनी 01 किलो ग्राम प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह, रूपये 24.50 प्रति किग्रा. की दर से वितरित की जा रही है।

4. बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को केरोसीन 2.5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 26.20 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएँ

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 97(1) खा.वि./साविप्र/2010–11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :–

1	जिला मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी
2	शेष नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में	नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त
3	ग्रामीण क्षेत्र के लिए	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति
4	राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अन्य कोई अधिकारी	

समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत 7 दिवस की अवधि में राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली सेवाऐं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किए जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण **परिशिष्ट–"5"** पर है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के कार्य के अर्न्तगत राज्य मे उचित मूल्य दुकानों, गोदामों एवं थोक विक्रेताओं का डेटाबेस कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकरण के अर्न्तगत

आवश्यक वस्तुओं के आवंटन–उठाव, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के साथ ही राज्य एवं जिला मुख्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कम्प्यूटरीकरण योजना के अर्न्तगत राज्य में डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है । 01 अप्रेल 2015 से नवीन / डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य ई–मित्र के माध्यम से किया जा रहा है । नवीन डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने के कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिये समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित नगर परिषद / नगर पालिका क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 तथा प्रवर्तन निरीक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 को जारी की गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का end to end computerization के अर्न्तगत राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर PoS मशीने स्थापित कर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है । पॉस मशीनों की खरीद एवं उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित करने की कार्यवाही राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड (RISL) द्वारा किया किया गया। राज्य की 24734 उचित मूल्य की दुकानों पर PoS मशीने स्थापित कर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है ।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे, इसी दृष्टिकोण के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिन्सों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) की जाती है –

रबी फसल– गेहूँ व जौ

खरीफ फसल में मोटे अनाज, यथा, बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18
रबी	गेहूँ	1450	1525	1625
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा	1275	1330	1425
	मक्का	1325	1365	1425

भारतीय खाद्य निगम, राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2015–16 में 13.00 लाख मै.टन गेहूं, वर्ष 2016–17 में 7.62 लाख मै.टन गेहूँ एवं वर्ष 2017–18 में कुल 12.45 लाख मै.टन गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है एवं राज्य के अलवर जिले में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत वर्ष 2015–16 में 63,866 मै.टन गेहूं एवं 2016–17 में 150 मै.टन गेहूं की खरीद की गई।

चीनी

राज्य के अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 01 किलोग्राम चीनी प्रति राशनकार्ड 24.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से चीनी की खरीद की जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ट–"6"** पर है।

केरोसीन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से राज्य को त्रैमासिक केरोसीन का आवंटन प्राप्त होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरित कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जा रहा है। बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 2.5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड केरोसीन का वितरण पॉस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। केरोसीन के आवंटन एवं उठाव की सूचना **परिशिष्ट–"7"** पर है।

केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों को भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी किये हुये है तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देशित किया हुआ है कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टेंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता है, वह इसकी सूचना जिला कलक्टर को दें और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील/ एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टेंकर का सत्यापन किया जावे और एस.डी.ओ. कम्प्यूटर से ट्रॉंसमिशन करेंगे कि कौन–सा टैंकर कब और कहॉं के लिए रवाना हो रहा है?

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान दर से वितरण कराने हेतु विभागीय अधिसूचना कमांकःएफ 45(75)खा.ले./नीति/केरोसीन/ 2012–13 दिनांक 16.02.2018 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नीले केरोसीन की अधिकतम विक्रय दर 26.20 रूपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

एल.पी.जी.

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा इस हेतु जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों आदि में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर अनेको प्रकरण बनाये गये हैं। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19 किलो में उपलब्ध है। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आई.ओ.सी., एच.पी.सी. एवं बी.पी.सी. तेल कम्पनियां कर रही हैं।

राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समुचित आपूर्ति करें तथा आवश्यकतानुसार नये गैस कनेक्शन जारी करें। सिलेण्डर पर टोल–फ्री नम्बर अंकित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैसे हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तथा जुर्मानें से लेकर लाईसेन्स निलम्बित/निरस्त करने तक की कार्यवाही की जाती है।

पहल योजना (MDBTL)

"पहल" योजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बैंक खाते के मार्फत सीधे ही नकद भुगतान किये जाने की संशोधित DBTL योजना राज्य में 1 जनवरी, 2015 से प्रारम्भ की गई है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए वर्तमान में प्रभावी नयी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

आवंटन प्रक्रिया

1. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ

(i) **शहरी क्षेत्र** की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड/गांव के निवासी को दी जायेगी, जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम

तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

(ii) आवेदक की "शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए"। यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ–पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(iii) आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते, उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा–पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते है, तो प्राधिकार–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

2. आवेदन पत्र आमंत्रित करना:–

(क) जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर; जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर, इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेगें। प्रत्येक आवेदन पत्र का क्रमांक अंकित करते हुए आवेदक को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

(ग) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का छायाचित्र लगा होगा।

(घ) समस्त आवेदन पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने का अधिकार आवंटन सलाहकार समिति को ही होगा। आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र/उचित मूल्य दुकान तथा गोदाम के ब्लूप्रिन्ट के नक्शों के अनुसार मौके की जांच रिपोर्ट की जाकर आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं उचित मूल्य दुकान के स्थान एवं गोदाम की उपयुक्तता के संबंध में संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्पष्ट टिप्पणी की जायेगी।

(ड) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक शपथ पत्र दिया जावेगा:–

(1) आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्ड़ित नहीं हुआ है।

(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।

(3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य; यथा, माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान नहीं हैं।

(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(5) आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।

(6) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित हैं, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।

(7) आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

(च) प्रस्तावित दुकान का नक्शा प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(छ) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रूपये होना आवश्यक होगा।

(झ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

3. आवंटन सलाहकार समिति

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगी:–

(i) **<u>नगरीय क्षेत्रों हेतु:–</u>**

(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य		सदस्य
(ग)	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप–पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

(ii) **<u>ग्रामीण क्षेत्रों हेतु:–</u>**

(क)	जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच	सदस्य
(ग)	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप–पंजीयक	

	अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
(i)	सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
(ii)	उपभोक्ता	एक	सदस्य
(iii)	महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत शपथ–पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में मेरे परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि कोई परिवार का सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 4(क) (i) एवं (ii) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

4. चयन प्रकिया एवं प्राथमिकताः–

आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगीः–

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगाः–

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस् (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ii) "महिला स्वयं सहायता समूह; जो, राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो।

(iii) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोटः– आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेषः— यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात क्रम संख्या (i), (ii) व (iii) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार
   (i) निःशक्तजन
   (ii) महिलायें
      (क) शहीद की विधवा, (वीरांगना)
      (ख) विधवा
      (ग) परित्यक्ता
2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

(ग) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अहर्ताऐं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

(ड) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

5. अन्य प्रावधान

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 05 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यार्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

(ii) बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को एवं 05 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी।

(iii) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्पयूटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिए कलक्टर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढाई जा सकेगी।

(iv) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।

(v) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस्/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

6. प्राधिकार पत्र जारी करना:–

(i) उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा का जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन होने के 07 दिवस की अवधि में सभी संबंधित चयनित आवेदकों को जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके उचित मूल्य दुकानदार चयनित होने की सूचना दी जायेगी। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अवधि में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का संपादन किया जायेगा:–

क्र सं	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1	प्रतिभूति राशि जमा कराना	चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस
2	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करना	प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस
3	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना	प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह

(ii) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह का रियायत अवधि काल (Grace period) जिला कलक्टर द्वारा बढाया जा सकेगा। रियायत काल की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेगे।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा जिसके साथ उचित मूल्य दुकानदार का परिचय पत्र भी जारी किया जायेगा।

खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियां

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार सतर्कता समितियों का गठन किया गया है–

(अ) जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में निम्न लिखित सदस्य होंगे :–

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3. जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4. जिला प्रमुख	सदस्य
5. जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति	सदस्य
6. जिले की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष	सदस्य
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8. उपभोक्ता संगठनों के एक प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9. चार सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता (इनमें एससी,एसटी,महिला एवं निशक्त व्यक्ति सम्मिलित होगा,जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा)	सदस्य
9. जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

1. उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. प्रधान पंचायत समिति	उपाध्यक्ष

(उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड–अधिकारी होगें एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होगें)

3. स्थानीय निकाय के दो सदस्य जिनका मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेंगा।	सदस्य
4. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जावेगा।	सदस्य
5. स्थानीय विधायक	सदस्य
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति	सदस्य
7. उपभोक्ता संगठन का एक प्रतिनिधि (उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत)	सदस्य
8. चार सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता (इनमें एससी,एसटी,महिला एवं निशक्त व्यक्ति सम्मिलित होगा,जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा)	
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 8 एवं 9 के सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(स) उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति का गठन किया जावेंगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) शहरी क्षेत्र के लिये

1. वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
3. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
4. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य

समाजिक कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता श्रेणी में एससी, एसटी, महिला एवं निशक्तजन को सम्यत प्रतिनिधित्व दिया जावेगा। जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनयन किया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिये

1. सरपंच	अध्यक्ष
2. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
5. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
6. पंच (एक)	सदस्य

समाजिक कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता श्रेणी में एससी, एसटी, महिला एवं निशक्तजन को सम्यत प्रतिनिधित्व दिया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जावेगा।

विभिन्न स्तर पर गठित की जाने वाली खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों का कार्य एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:-

खाद्य सुरक्षा संबंधित कार्य

- खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति माह में एक बार आवश्यक रूप से बैठक करेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित जिले, उपखण्ड एवं पंचायत में कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा की सूची में समावेशन में वंचित नहीं रहे तथा कोई भी अपात्र खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकें।
- समिति सूचियों का समय-समय पर पुर्नविलोकन कर सकेगी तथा सक्षम स्तर पर वंचित पात्र व्यक्तियों एवं सूची में जुडे अपात्र व्यक्तियों की सूचना सप्रमाण सक्षम स्तर पर दे सकेगी तथा निष्कासन एवं समावेशन हेतु अभिशंषा कर सकेगी।
- समिति दूरस्त-पहाडी क्षेत्रों में जहां पहुंचना कठिन है, वहां निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देगी।
- समिति खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरण की प्रभावी सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी तथा उसे सक्षम स्तर पर अपनी संपरीक्षायें कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकेगी।
- समिति उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, आपूर्ति-पहुंच एवं वितरण पर निगरानी रखेगी।

- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य दुकान समय पर खुलती है एवं बन्द होती है।
- समिति समय–समय पर यह सुनिश्चित करेगी कि खाद्यान्न/राशन सामग्री का वितरण निर्धारित दर पर लाभार्थी को किया गया है अथवा नहीं?
- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियंत्रित वस्तुओं के नमूने (सैम्पल) भी प्रत्येक दुकान पर रखें जाये।
- समिति द्वारा की गई मीटिंगों के कार्यवाही विवरण हेतु एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा तथा बैठक का विवरण सक्षम स्तर पर यथा, उचित मूल्य दुकान संबंधी कार्यवाही विवरण उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड स्तरीय समिति का विवरण जिला कलक्टर एवं जिला स्तरीय समिति का विवरण विभाग/राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, जिस पर सक्षम स्तर के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- समिति बोगस/फर्जी राशनकार्डो को निरस्त करवाने संबंधी अभिशंषा कर सकेगी।
- संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में स्थित सतर्कता समितियों की होने वाली बैठकों में आवश्यक रूप से भाग ले तथा सतर्कता समिति के सदस्यों को समिति के संचालन बाबत अधिक से अधिक जानकारी दें एवं उनके मार्फत इन दुकानों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।
- समिति के सदस्यों को उचित मूल्य दुकान के रिकार्ड के अवलोकन का अधिकार होगा।
- समिति सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा तोल हेतु प्रमाणित बाट–माप का प्रयोग किया जावें।
- समिति के किसी सदस्य के खिलाफ कोई सारगर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो बाद जांच मनोनयन हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात ऐसे सदस्यों को हटाया जा सकेगा।
- सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :–

- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 को जारी किये गये हैं।
- सम्पूर्ण राज्य में उपभोक्ता पखवाडा दिनांक 10.11.2014 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक रखा गया है। उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रहेगी तथा राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एकरूपता की गई है:–

माह	समय
उपभोक्ता पखवाडा प्रत्येक माह 10 से 24 तारीख तक	प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (अपरान्ह 01 से 02 तक भोजन अवकाश)
1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक
साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिये जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता पखवाडे की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा।	

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के तहत राज्य के उपभोक्ताओं को डिजिटाइज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराना तथा राज्य की उचित मूल्य दुकान पर पॉस मशीनों की स्थापना कर बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण आरम्भ कर दिया गया है। राज्य में खाद्यान्न (गेहूं) का आवंटन ऑनलाईन किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए है:–

क्र.सं.	विभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर	1.उपायुक्त (मुख्यालय) एवं शासन उप सचिव 2.उपायुक्त (प्रथम) 3.वित्तीय सलाहकार 4.उप विधि परामर्शी 5.सहायक निदेशक(सांख्यिकी) 6.जिला रसद अधिकारी(प्रोक्योरमेन्ट) 7.जिला रसद अधिकारी(सतर्कता) 4.सहायक आयुक्त (खाद्य)– नोडल अधिकारी	प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)
2.	जिला स्तर पर	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर (रसद)

उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना–परिचय

- उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 1987 से 26.09.2013 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ सम्बद्ध रहा।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से उपभोक्ता मामले विभाग को विखण्डित कर पृथक किये जाने के लिये मंत्रिमण्डल आज्ञा 205/2013 के कम में अधिसूचना दिनांक 26.09.2013 को जारी कर दी गई।
- राज्य की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 की कियान्विति के अन्तर्गत विधिक माप विज्ञान को भी उपभोक्ता मामले विभाग की कार्य सूची में सम्मिलित करने संबंधी मंत्रीमण्डल आज्ञा दिनांक 03.06.2015 को जारी कर दी गई तथा दिनांक 24.07.2015 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।
- दिनांक 01अक्टूबर,2016 से उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान का भौतिक रूप से कियान्वयन प्रारम्भ किया गया।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 का कियान्वयन।
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम,2009 का कियान्वयन।
- उपभोक्ता हितो के संरक्षण के लिये राज्य आयोग, सर्किट बैंचों एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था।
- राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष हैल्पलाईन का संचालन।
- उपभोक्ता विषयक योजनाओं का कियान्वयन जागृति एवं प्रचार–प्रसार।
- उपभोक्ता मामले विभाग का प्रमुख कार्य उपभोक्ता हितो का सार्वकालिक संरक्षण कर उपभोक्ता जागृति विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। उपभोक्ता के शोषण के विरूद्ध सुनवाई कर उन्हें न्याय प्रदान करने के साथ उपभोक्ता विषयक योजनाओं से उपभोक्ता आन्दोलन को बढावा देना है।

उपभोक्ता हैल्पलाईन

- राज्य में स्थापित राज्य स्तरीय उपभोक्ता हैल्पलाईन राज्य सरकार से अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन 'कन्ज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी'केन्स', जयपुर द्वारा संचालित की जा रही है।
- यह हैल्पलाईन त्वरित एवं वैकल्पिक विवाद प्रतितोष व्यवस्था के अन्तगत कारगर सिद्ध हुई है। हैल्पलाईन परामर्श एवं मार्गदर्शन का कार्य करती है। हैल्पलाईन का टोल फ्री नम्बर 1800 180 6030 है।
- राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन को ऑनलाईन किया गया है, जो www.consumeradvice.in पर उपलब्ध है। 15मार्च,2011 से आदिनांक 37853 शिकायतों का निस्तारण किया गया है।
- हैल्पलाईन के संचालन के प्रथम 05 वर्ष हेतु वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग के अनुसार अब हैल्पलाईन का संचालन राज्य सरकार/राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष द्वारा किया जाना है।

उपभोक्ता जागृति–प्रचार–प्रसार हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु

- उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश दिनांक 06फरवरी,2017 के अनुसार समान मात्रा, पैकिंग एवं गुणवत्ता वाली एक ही प्री–पैकेज्ड कमोडिटि की द्वैध एमआरपी नहीं हो सकती।
- होटल–रेस्टोरेन्ट, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन सहित सार्वजनिक विक्रय स्थलों पर एमआरपी से अधिक चार्ज किये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है।
- भारत सरकार के आदेश दिनांक 14दिसम्बर,2016 के अनुसार होटल्स, रेस्टोरेन्टस् में लिये जाने वाला सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है, न कि बाध्यकारी।
- भारत सरकार के आदेश दिनांक 24दिसम्बर,2016 के अन्तर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा खरीद का बिल उपभोक्ताओं को सर्वदा जारी किया जाना चाहिये।
- उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश दिनांक 18जनवरी,2017 के अनुसार गैस एजेन्सिज द्वारा बिना सूचना एवं सहमति के उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन अन्य एजेन्सी पर हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता।
- वस्तुओं में, धरेलू उत्पाद, खाद्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, सोन्दर्य प्रसाधन, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद/उपकरण, वाहन एवं सेवाओं में बैंक, बीमा, शिक्षा, परिवहन, विद्युत, टेलीफोन, डाक, चिकित्सा, आवास, मनोरंजन आदि सेवाओं एवं मिलावट, कम माप–तौल, रसोई गैस, पेट्रोलियम एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतें प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक हैल्पलाईन पर दर्ज कराई जा सकती है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों का सुदृढ़ीकरण

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 04 तथा जोधपुर जिले में 02 मंच कार्यरत हैं। जिला मंचों में अध्यक्षों व सदस्यों के रिक्त पदों को भरे जाने के लिये 13 जिला मंच के अध्यक्षों एवं 26 विभिन्न जिला मंचों के सदस्यो के रिक्त पदों को भरा जाना प्रक्रियाधीन है। इस क्रम में दिनांक 08.12.2017 को साक्षात्कार की प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

  राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मँचों के सुदृढ़ीकरण के लिये 16.66 करोड़ रूपये के प्रस्ताव 12वें प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजे गये थे। उक्त राशि से आयोग एवं जिला मंच, भूमि भवन, साधन–संसाधन की दृष्टि से आत्मनिर्भर एवं सुदृढ होंगे, जो उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान किये जाने में सहायक होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा स्ट्रेन्थनिंग ऑफ कन्ज्यूमर फोरा स्कीम फेस–।। के अन्तर्गत राज्य में गठित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मँचों के 10 भवनों के निर्माण हेतु राशि रूपये 930.92 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 3,71,74,000/– राज्य को प्राप्त हो चुके हैं। जिसकी प्रशासनिक–वित्तीय स्वीकृति विभागीय स्तर से दिनांक 29.03.2016 को जारी की जा चुकी है। 12 जिला मँचों के भवन निर्माण (विस्तार) हेतु भारत सरकार द्वारा 139.29 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा रूपये 64.00 लाख की राशि आवंटित की जा चुकी है। इसी प्रकार गैर भवन मद के अन्तर्गत 37 जिला मँचों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये थे, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 304.30 लाख की राशि आवंटित की जा चुकी है, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसमें आधुनिकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण उन्नयन हेतु 37 जिला मंचों को राशि रूपये 203.50 लाख तथा राज्य आयोग के लिए राशि रूपये 100.80 लाख की स्वीकृति शामिल है।

  नवीन भवन निर्माण हेतु (जिला मंच जयपुर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ और जिला मंच कोटा एवं जिला मंच, जोधपुर–द्वितीय) राज्य आयोग एवं सर्किट बैंच, उदयपुर, कोटा, बीकानेर के नये भवन निर्माण हेतु एवं भवन विस्तार हेतु 12 जिलों को राशि स्वीकृत की गई। गैर भवन मद में राज्य आयोग 06 सर्किट बैंच तथा नेशनल बैंच एक एवं 37 जिला मंचों के लिए ए. सी., वाटर कूलर मय आर–ओ, इन्वरटर, पैपर, श्रठर, लैपटॉप एवं इलेक्ट्रोनिक्स कार्य हेतु आधुनिकरण सुदृढीकरण एवं उन्नयन हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

- सरकार तथा एन.आई.सी. कॉन्फोनेट योजनाओं के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा सभी 37 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का कम्प्युटराइजेशन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता मंचों की दैनिक वाद सूची, लम्बित पत्रावलियों को स्टेटस, कॉन्फोनेट की वेबसाईट confonet.nic.in पर उपलब्ध करायी जा रही है तथा उक्त वेबसाइट पर निर्णय भी संकलित(अपलोड) किये जा रहे हैं।

- वैकल्पिक परिवाद निवारण व्यवस्था के अन्तर्गत केलेण्डर वर्ष 2017 में राज्य आयोग एवं अधीनस्थ जिला मंचों में पृथक से 'उपभोक्ता लोक अदालतें' लगायी जाकर 2236 परिवादों का निस्तारण किया गया। पुनः विभाग द्वारा लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरण निस्तारण के निर्देश दिये गये है तथा इस हेतु आवश्यक बजट भी आवंटित किया गया है।
- त्वरित परिवाद निस्तारण को प्रोत्साहित करने के लिये माननीया मुख्यमंत्री महोदया की भावना के अनुरूप निर्णय लिया जाकर 24 दिसम्बर, 2017 (राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस) के अवसर पर सर्वाधिक परिवाद निस्तारित करने वाले 02 जिला मंचों के अध्यक्षों एवं दो सदस्यों का राज्य स्तर पर सम्मान किया गया है। निःसंदेह इससे अन्य जिला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य भी प्रेरित होंगे।
- जिला मंचों में लम्बित परिवादों की निगरानी के लिए एक स्थायी तंत्र (समिति) का गठन दिनांक 12.07.2017 को किया गया है। इस समिति के माध्यम से ही जिला मंचों की कार्य की समीक्षा एवं त्रैमासिक ग्रेडिंग की जावेगी। यह सर्म्पूण भारत वर्ष में अभिनव प्रयोग है।
- निर्धारित समय सीमा में परिवादों के निस्तारण के लिए राज्य में कैम्पकोर्ट लगाने के निर्देश दिनांक 12.07.2017 को दिये गये।

विधिक मापविज्ञान के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र जारी किया जाना एवं नवीनीकरण के कार्य को ऑनलाइन किया गया।

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणाओं के क्रम में विधिक मापविज्ञान विभाग को उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन किया गया और दिनांक 01.10.2016 से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भौतिक रूप से कार्यारंभ भी कर दिया गया।
- उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन विधिक मापविज्ञान (प्रकोष्ठ) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के उत्पादनकर्ता, व्यवहारी तथा मरम्मतकर्ता संबंधी जारी किये जाने वाले समस्त अनुज्ञा पत्र एवं उनका नवीनीकरण एवं पैकेज्ड कमोडिटी नियम, 2011 के अन्तर्गत डिब्बा बन्द वस्तुओं के पैकेट हेतु उत्पादनकर्ता एवं पैकर्स के लिए किये जाने वाले पंजीयन का कार्य अब विधिक मापविज्ञान (प्रकोष्ठ) के द्वारा Ease of Doing Business (EoDB) के

अन्तर्गत उपभोक्ता मामले विभाग को www. http://consumeraffairs.raj.nic.in/ पर ऑनलाइन किया जा सकेगा।

- ❑ विभाग के कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए उक्त समस्त अनुज्ञापत्र एवं पंजीयन आवेदन पूर्ण की स्थिति में 07 दिवस में बिना किसी भौतिक निरीक्षण के विभाग द्वारा जारी कर दिया जायेगा।

उपभोक्ता विषयक योजनाएँ प्रचार–प्रसार

- ❑ **उपभोक्ता भवन हेतु भूमि का आवंटन एवं निर्माण:**–उपभोक्ताओं की समस्याओं को एक छत के नीचे सुना जाकर उनका निराकरण भी एक छत के नीचे हो, इसी अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा संख्या–132 में राजधानी मुख्यालय पर एक उपभोक्ता भवन निर्माण की घोषणा की। उपभोक्ता भवन में उपभोक्ताओं को प्रतितोष प्रदान करने वाली सभी एजेन्सीज एक साथ होगी। इनमें उपभोक्ता मामले विभाग के साथ राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन, मीडियेशन, सेन्टर, विधिक मापविज्ञान एवं राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम का कार्यालय स्थापित होगा। इससे उपभोक्ताओं को प्रतितोष हेतु यत्र–तत्र नहीं जाना होगा। एक ही छत के नीचे सम्पूर्ण उपभोक्ता विषयक समस्याओं का निराकरण होगा।
- ❑ **उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किया जाना:**–राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित 1000 उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किये जाने की कार्य–योजना दिनांक 12.03.2014 को विभाग के स्तर पर जारी की गयी थी। राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष की बैठक दिनांक 04.08.2014 में सक्रिय उपभोक्ता क्लबों को राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी। एक बारीय वित्तीय सहायता के पश्चात् उपभोक्ता क्लबों को अपने संसाधनों से संचालित किये जाने एवं आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु प्रेरित किया गया है। इसके भी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। राज्य में संचालित उपभोक्ता क्लबों का डेटाबेस तैयार किया गया है। क्लब की गतिविधियों से उपभोक्ता आन्दोलन को नई दिशा मिली है।
- ❑ **महाविद्यालयों में उपभोक्ता क्लब की स्थापना:**– माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत करने के लिए राज्य के चुनिदा महाविद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों का गठन किया गया। इन क्लबो को विश्व उपभोक्ता दिवस (15 मार्च, 2017) से प्रारंभ किया जा रहा है।
- ❑ **राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष (सीमित सहायता योजना):**–राजस्थान सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण को प्रोत्साहन तथा संरक्षण देने व राज्य में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिये मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को अर्थिक सहायता अनुदान देने के लिये राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष **'सीमित सहायता योजना'** जारी की है। इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर ही वित्त सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

जिला स्तर पर जिला कलक्टर को कोष से सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- **स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को मान्यता संबंधी दिशा–निर्देशः–** राज्य के स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु एवं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 24.05.2017 को जारी किए गए।
- **राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन एवं मनोनयनः–** राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन किये जाने की अधिसूचना दिनांक 04.01.2014 को जारी की जा चुकी है। राज्य परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात् पहली बैठक दिनांक 06.08.2014 को आयोजित की जाकर उपभोक्ता के हितों में व्यापक निर्णय लिये गये हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी किया जा चुका है।
- **जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का पुनर्गठनः–** यद्यपि राज्य के सभी जिलों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदें 1987 से ही कार्यरत थी; तथापि अधिनियम में संशोधन के आलोक में दिनांक 31.10.2017 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
- **संभागीय उपभोक्ता जागृति सम्मेलनों का आयोजनः–** राज्य में पृथक से उपभोक्ता निदेशालय ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। विधिक मापविज्ञान के कार्य को उपभोक्ता निदेशालय में लिये जाने के फलस्वरूप विशेष गति प्रदान की गई है। उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से सम्पर्क–समन्वय–संवाद स्थापित करने, उपभोक्ताओं से जुड़े विभागों को उपभोक्ताओं के प्रति सजग करने, विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य में पहली बार संभागीय स्तर पर संभागीय उपभोक्ता जागृति सम्मेलन आयोजित किये गये।

- **उपभोक्ता जागृति विषयक प्रचार–प्रसारः–** इसके अन्तर्गत उपभोक्ता जागृति अभियान को जल स्वावलम्बन अभियान से जोड़ा जाकर विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ता शिक्षा से जुडी मुद्रित सामग्री उपभोक्ताओं को वितरित की गई है। विभाग द्वारा हैल्पलाइन एवं अन्नपूर्णा भण्डार के प्रचार–प्रसार हेतु पेम्पलेट्स एवं "जागृत उपभोक्ता', सशक्त उपभोक्ता" विषयक पुस्तिका का भी प्रकाशन किया गया है। हैल्पलाइन के प्रचार–प्रसार के लिये ई–न्यूज लेटर का भी प्रकाशन विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। उपभोक्ता अधिकारों के प्रचार–प्रसार के लिये दूरदर्शन के माध्यम से विभाग द्वारा पांच विशेष ऐपिसोड्स का विशेष प्रसारण कराया गया है।
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजनः**–दिनांक 24 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य स्तर पर एवं सभी जिलों में मनाया गया। इस कम में भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीमः **उभरता डिजिटल बाजारः समस्या और चुनौतियाँ** पर संगोष्ठियां आयोजित की गई।

वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की वास्तविक आय एवं व्यय तथा वर्ष 2016–17 के मूल बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तथा 2017–18 के मूल बजट अनुमान का विवरण **परिशिष्ट–"8"** पर संलग्न है।

कुल आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

आय एवं व्यय का प्रकार	वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2015–16	वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2016–17	मूल बजट अनुमान 2016–17	संशोधित बजट अनुमान 2016–17	आय एवं व्यय का प्रकार	बजट अनुमान 2017–18
विभागीय कार्यालय संचालन संबंधी विविध व्यय (आयोजना भिन्न मद)	4280.47	4603.02	5067.08	4781.60	विभागीय कार्यालय संचालन संबंधी विविध व्यय– प्रतिबद्ध– (राज्यनिधि मद)	5253.52
आयोजना भिन्न मद की योजनाओं के व्यय	19.42	4.26	15.10	5.10	प्रतिबद्ध–राज्यनिधि मद की योजनाओं का व्यय	5.02
आयोजना मद की योजनाओं के व्यय	27543.32	47181.09	41407.73	48111.57	राज्यनिधि मद की योजनाओं का व्यय	21401.66
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के व्यय	11733.01	20970.59	28067.78	21466.81	केन्द्र सहायता प्राप्त योजनाओं के व्यय	21324.87
विभाग की विविध आय	7979.10	6712.20	8205.43	8563.06	विभाग की विविध आय	9767.21

आयोजना भिन्न मद की योजनाऐ(वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रतिबद्ध–राज्य निधि) :–

केरोसीन परिवहन समानीकरण योजना

आयोजना मद की योजनाऐं (वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु राज्य निधि):–

अन्नपूर्णा योजना, राशन टिकट योजना, दिव्यांगों को अन्न योजना, धरेलू गैस पर सहायता, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद पर बोनस भुगतान, राशनकार्डो का कम्प्यूटराईजेशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना, एपीएल परिवारों को आटा वितरण योजना, भार एवं माप, भार एवं माप का विनियमन।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐ (वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु केन्द्रीय सहायता):–

उपभोक्ता मंचों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन की स्थापना, केरोसीन सब्सिडी का सीधा ट्रांसफर एवं कम्प्यूटराईजेशन ऑफ टीपीडीएस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामलें, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	निदेशक

4. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17 (अनुमानित)
1.	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	443.52
2.	Less: interest	Nil	688.15	638.5	29.37
3.	Operational Profit/Loss	944.25	708.47	959.57	414.15
4.	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.15
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	903.54	647.6	942.08	400.00
6.	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	276.4

5. निगम के कार्य एवं उददेश्य :

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूँकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011, 27.12.2012 एवं04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तयों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	47	16	16
2.	जिला कार्यालय	272	247	25	—
3	तहसील स्तर	488	144	344	—

7. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्यः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणालीः–

(1) खाद्यान्न की आपूर्तिः–

प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2014 को आयोजित बैठक में राज्य के कतिपय जिलों में ट्रक यूनियनों के द्वारा परिवहन दरें बढ़ाये जाने के कारण रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग के द्वारा केवीएसएस /भण्डारों के माध्यम से राशन सामग्री के थोक विक्रेता एवं परिवहन के कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की गई। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा राज्य में खाद्यान्न थोक विक्रेता के कार्य को करने हेतु जिलों में पदस्थापित निगम के प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति को थोक विक्रेता नियुक्त किया गया। खाद्यान्न परिवहन के कार्य हेतु राज्य में चरणबद्ध रूप से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ई–निविदा आमंत्रित कर 19 जिलों में खाद्यान्न परिवहन का कार्य किया जा रहा हैं।

9. पीडीएस के अन्तर्गत चीनी का वितरण

1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजानिक वितरण विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार ने अपने अर्द्वशासकीय पत्र **No.2** (1)/2017-SP-I दिनांक 12.05.2017 के द्वारा उक्त योजना को संशोधित कर ,**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के**

अन्तर्गत अनुदानित चीनी वितरण योजना अब केवल अन्तोदय परिवार (AAY) तक सीमित कर दी गयी है। माह अप्रैल 2017 से प्रत्येक अन्तोदय परिवार(AAY) को 1 किलो चीनी प्रति माह उपलब्ध करवाने के दिशानिर्देश जारी किये गये है।

2. चीनी वितरण योजना के अन्तर्गत 18.50 रूपये प्रति किलो की दर से भारत सरकार द्वारा चीनी अनुदान राशि प्रदान की जाती हैं तथा जून 2016 तक उपभोक्ताओं द्वारा 13.50 रू. प्रति किलो की दर से चीनी क्रय की जाती थी। चीनी की दर वर्तमान में अधिक होने के कारण केन्द्र से अनुदान 18.50 एवं विक्रय दर 13.50 कुल 32.00 रूपये प्रतिकिलो से अधिक होने पर अन्तर राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी, लेकिन वित्त विभाग द्वारा अन्तर राशि वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि माह जुलाई 2016 से चीनी वितरण दर संशोधित कर उपभोक्ताओं से अन्तर राशि प्राप्त की जावे। तत्पश्चात् चीनी की दर 13.50 रू. प्रतिकिलो से बढ़ाकर 20. 00 रू प्रति किलो एंव जनवरी 2017 से 24.00 रू प्रति किलो की गयी। संशोधित योजना के अन्तर्गत अन्तोदय परिवारो को 24.50 रूपये प्रतिकिलो मय 5%GST निर्धारित कर वितरण किये जाने के आदेश दिनांक 29.11.2017 को जारी किये जा चुके है।

3. **चीनी की आपूर्ति** :– जून 2013 से मार्च 2017 तक के आवंटन के विरूद्व लक्षित वर्ग (अन्तोदय एंव बी.पी.एल) को अनुदानित चीनी उपलब्ध करवायी जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक के आंवटन के विरूद्व अन्तोदय परिवारो को अनुदानित चीनी उपलब्ध करवाने हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके है। चीनी की आपूर्ति जारी है एवं आदेश के द्वारा वितरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। वितरण व्यवस्था स्पष्ट करें।

4. **केन्द्र सरकार का अनुदान** :– मार्च, 2017 तक की चीनी आपूर्ति के विरूद्व चीनी अनुदान के समस्त क्लेम चीनी निदेशालय भारत सरकार को भिजवाकर समस्त अनुदान प्राप्त कर लिया गया है।

5. **राज्य सरकार का अनुदान**:– मार्च 2017 तक की अन्तर राशि के समस्त क्लेम राज्य सरकार से प्राप्त कर लिये गये है।

6. चीनी निदेशालय, भारत सरकार के निर्देशो के अनुसार माह अप्रैल 2017 से अन्तोदय परिवारो (AAY) को चीनी उपलब्ध करवाने हेतु ई–टेण्डर किये गये थे। ई–टेण्डर के सफलतम निविदादाता को माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक के आवंटन के विरूद्व दिनांक 21.11.2017 को एंव जनवरी 2018 से मार्च 2018 के दिनांक 15.12.2017 को कार्यादेश जारी किये जा चुके है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिले के लिए प्राप्त ई–निविदा की दरो पर गंगानगर शुगर मिल, राजस्थान को कार्यादेश दिये गये है।

7. चीनी का वितरण जून, 2016 तक 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से किया गया एंव जुलाई, 2016 से उपभोक्ताओं को 20.00/– रूपये, जनवरी 2017 से 24.00रू एंव 01.04.2017 से 24.50रू. मय 5% जी.एस.टी.प्रति किलो की दर से किया जा रहा है।

10. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

परिचय :–

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 के द्वारा किया गया। निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाले सामग्री को किफायती दर, गुणवत्तापूर्ण एवं उचित वजन में उपलब्ध करवाने के उदेश्य से नॉन पीडीएस सामग्री वितरण योजना शुरूआत की गई।

2. वर्तमान टेन्डर एवं उनकी अवधि:–

1 चाय (2017–18) सितम्बर 2017 से अगस्त 2018
2 अगरवत्ती (2017–18) अगस्त 2017 से जुलाई 2018

3. प्रगति :–

वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक नॉन पीडीएस सामग्रियो से निगम की कुल आय 1,04,37,456.00 रही है।

11. अन्नपूर्णा भण्डार योजना :

1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की अवधारणा को "अन्नपूर्णा भण्डार योजना" के रूप में मूर्त रूप दिया गया। दिनांक 01.01.2018 तक 6054 अन्नपूर्णा भण्डार संचालित किये जा चुके है जिसके माध्यम से आम उपभोक्ताओं को मल्टीब्रॉण्ड वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हो रही हैं।

2. प्रगति :–

- बजट अभिभाषण वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 189 की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भण्डारों के रूप में रूपान्तरित किया जाने के उपरान्त मुख्यमत्री सलाहकार परिषद् द्वारा दिनांक 14.02.2017 को समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशो के क्रम में 2500 नवीन अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने हैं जिसकी पालना में दिनांक 01.01.2018 तक 1054 अन्नपूर्णा भण्डारों पर आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है तथा 462 भण्डार आपूर्ति हेतु तैयार किये जा चुके है।
- **दिनांक 22.09.2017 को राज्य स्तर** पर जिले के 5–5 उत्कृष्ट अन्नपूर्णा भण्डार संचालकों, का आमुखीकरण (Orientation) / प्रशिक्षण/अनुभवों का आदान–प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित डीलरों को मास्टर ट्रेनर बनाकर सम्बन्धित जिलो में भेजकर अन्य भण्डार संचालकों को बेहतर कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- अन्नपूर्णा भण्डारों पर सितम्बर, 2015 से नवम्बर, 2017 तक कुल 125.18 करोड़ रू. की बिक्री हुई है तथा निगम को (1 प्रतिशत की दर से) 125.18 लाख रू. कमीशन के रूप में प्राप्त हुए हैं।
- अन्नपूर्णा भण्डार की वैबसाईट www.annapurnabhandarrajasthan.in को लगातार अपडेट किया जाता हैं जिस पर मुख्यतः नवीनतम मूल्य सूची, दैनिक प्रगति रिपोर्ट, परिपत्र/आदेश आदि को अपलोड किये जाते हैं।
- शासन सचिव, खाद्य एवं पदेन अध्यक्ष राराखानाआनि की अध्यक्षता में दिनांक 01.01.2018 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयानुसार राजकीय संस्थागत यथा कैन्टीन, छात्रावास एवं हॉस्टलों में दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति कराने हेतु महानिदेशक, केन्द्रीय कारागार राजस्थान जयपुर, आयुक्त,

आपूर्ति कराने हेतु महानिदेशक, केन्द्रीय कारागार राजस्थान जयपुर, आयुक्त, अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् राजस्थान, शिक्षा संकुल परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान शिक्षा संकुल परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर को अनुरोध पत्र भेजा गया है। जिसके क्रम मे राज्य भर मे कुल 231 राजकीय संस्थानों द्वारा अन्नपूर्णा भण्डारो से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

3. कार्य योजना :–

- अन्नपूर्णा भण्डार योजना की बिक्री में वृद्धि हेतु निगम द्वारा उपभोक्ता/भण्डार संचालक/जिला रसद अधिकारी/प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति/प्रवर्तन अधिकारी/परिवर्तन निरीक्षक हेतु प्रोत्साहन स्कीम प्रकियाधीन है।
- अगस्त, 2018 में "अन्नपूर्णा भण्डार फ्लेगशिप योजना" हेतु किया गया अनुबन्ध समाप्त हो रहा है ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्षो के लिए पूर्व में जारी अनुबन्ध को विस्तार करने हेतु अथवा नवीन निविदा जारी करने पर निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है।

******

दिसम्बर 2016 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	जिलेवार स्थापित उचित मूल्य दुकानों की संख्या
1	2	3
1	अजमेर	1065
2	अलवर	1238
3	बांसवाडा	650
4	बांरा	593
5	बाडमेर	1055
6	भरतपुर	960
7	भीलवाडा	872
8	बीकानेर	952
9	बून्दी	400
10	चित्तौडगढ	688
11	चूरू	905
12	दौसा	732
13	धौलपुर	442
14	डूँगरपुर	530
15	गंगानगर	812
16	हनुमानगढ	674
17	जयपुर	1865
18	जैसलमेर	334
19	जालौर	620
20	झालावाड	622
21	झुन्झुनू	738
22	जोधपुर	1213
23	करोली	553
24	कोटा	647
25	नागौर	1323
26	पाली	786
27	प्रतापगढ़	346
28	राजसमन्द	508
29	सीकर	930
30	सिरोही	434
31	सवाई माधोपुर	584
32	टोंक	573
33	उदयपुर	1053
	योग	**25697**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राज्य को प्राप्त खाद्यान्न (गेहू) का पिछले चार वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	माह	पात्र परिवार अन्त्योदय सहित		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अक्टूबर,13 से मार्च, 2014	1347905.00	1323859.00	98.21
2	2014–2015	2789423.00	2767955.00	99.23
3	2015–2016	2718793.00	2646014.00	97.32
4	2016–2017	2580167.00	2572937.00	99.72

अप्रेल, 2017 से दिसम्बर, 2017

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	माह	पात्र परिवार अन्त्योदय सहित		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2017	229808.74	202916.35	88.30
2	मई, 2017	229808.74	201159.64	87.53
3	जून, 2017	229808.74	195263.90	84.97
4	जुलाई, 2017	123389.80	121848.73	98.75
5	अगस्त, 2017	170606.00	167981.74	98.46
6	सितम्बर, 2017	198034.00	196694.00	99.32
7	अक्टूबर, 2017	178836.70	178769.50	99.96
8	नवम्बर, 2017	177493.72	177672.47	100.10
9	दिसम्बर, 2017	185760.60	171558.72	92.35
	योग	**1723547.04**	**1613865.05**	**93.63**

परिशिष्ट–(3)

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013 जयपुर, दिनांक 20.07.2017

अधिसूचना

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा समावेशन (पात्र)–निष्कासन (पात्र नहीं) हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 को अधिक्रमित करते हुए समावेशन–निष्कासन संबंधी निम्नानुसार संशोधित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैंः–

समावेशन सूची

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
क्र.सं.	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी
1	अन्त्योदय परिवार	अन्त्योदय परिवार
2	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवार
3	स्टेट बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार
4	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगाः– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना H. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/ वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगाः– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना

	परिवार J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।	I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार K. भूमिहीन कृषक L. सीमान्त कृषक M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।
6	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
7	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
8	एकल महिलाएँ	एकल महिलाएँ
9	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11	कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार	—
12	कचरा बीनने वाले परिवार	कचरा बीनने वाले परिवार
13	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ	—
14	गैर सरकारी सफाई कर्मी	—
15	स्ट्रीट वेण्डर	—
16	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17	साईकिल रिक्शा चालक	साईकिल रिक्शा चालक
18	पोर्टर (कुली)	पोर्टर (कुली)
19	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
21	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
22	—	लघु कृषक
23	आस्था कार्डधारी परिवार	आस्था कार्डधारी परिवार
24	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 तथा संशोधित अधिनियम,2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 तथा संशोधित अधिनियम,2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति

निष्कासन सूची

शहरी क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)	ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।	1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।
2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।	2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।
3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।	3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।
4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर)	4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर)	5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो।
6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार।	6. **ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।**
7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	

नोटः—

1 समावेशन प्राथमिकता श्रेणी (क्रम संख्या 1–24 तक) के सभी चिन्हित लाभार्थी खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र होंगे। निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

2 राज्य सरकार द्वारा इन पात्रता शर्तों में समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

3 आम–जन की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट http://www.food.rajasthan.gov.in/ पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है।

(आकाश तोमर)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का जिलेवार विवरण(स्थिति जनवरी,2018)

क्र.सं.	नाम जिला	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित (अन्त्योदय सहित)	
		कुल पात्र परिवार	कुल पात्र लाभार्थी
1	अजमेर	382681	1560903
2	अलवर	558247	2509676
3	बांसवाडा	381581	1725519
4	बारां	223413	942008
5	बाडमेर	400088	1881300
6	भरतपुर	325024	1567526
7	भीलवाडा	383607	1521464
8	बीकानेर	298149	1400715
9	बूंदी	159480	660062
10	चित्तौडगढ	265040	1023347
11	चूरू	288585	1354494
12	दौसा	246451	1099279
13	धौलपुर	167461	840828
14	डूँगरपुर	299157	1355874
15	श्रीगंगानगर	270216	1093228
16	हनुमानगढ	227617	951078
17	जयपुर	654024	2783504
18	जैसलमेर	91527	421746
19	जालौर	240624	1193885
20	झालावाड	258617	1068059
21	झूँझनूँ	244011	1080425
22	जोधपुर	433571	2052889
23	करौली	27505	1009486
24	कोटा	238084	981657
25	नागौर	478346	2157460
26	पाली	290345	1329682
27	प्रतापगढ	185057	753371
28	राजसमन्द	191123	815320
29	सवाईमाधोपुर	201359	849898
30	सीकर	385290	1702092
31	सिरोही	189289	822288
32	टोंक	211906	933496
33	उदयपुर	576143	2563927
	योग	9943618	44006186

परिशिष्ट–(5)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी का अधिनियम के क्षेत्राधिकार में ली जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किये जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम – खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।

क्र. सं.	विभाग की गतिविधियां/सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
	नये राशनकार्ड बनाने हेतु						
1.	जिला मुख्यालय का नगरपालिका क्षेत्र	आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस	जिला रसद अधिकारी	—	जिला कलक्टर	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग (मुख्यालय)	
2.	शेष नगरपालिका क्षेत्र में		नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त				
3.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए		विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति अधिकारी				
4.	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत		राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी				

राज्य को प्राप्त लेवी चीनी का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2013–14	92629.20	86534.80	93.42
2	2014–15	93196.00	93196.00	100.00
3	2015–16	93196.00	93196.00	100.00
4	2016–17 अनन्तिम	93196.00	93196.00	100.00

अप्रेल 2017 से दिसम्बर,2017(अनन्तिम) की अवधि में

(मात्रा मै.टन में)

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 17	932.10	932.10	100.00
2	मई, 17	932.10	932.10	100.00
3	जून, 17	932.10	932.10	100.00
4	जुलाई, 17	932.10	932.10	100.00
5	अगस्त, 17	932.10	932.10	100.00
6	सितम्बर, 17	932.10	932.10	100.00
7	त्यौहारी कोटा,16	932.10	932.10	100.00
8	अक्टूबर, 17	932.10	932.10	100.00
9	नवम्बर, 17	932.10	932.10	100.00
10	दिसम्बर, 17	932.10	932.10	100.00
	योग :–	**9321.00**	**9321.00**	**100.00**

परिशिष्ट–(7)

राज्य को प्राप्त केरोसीन का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा के.एल में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2012–13	510312	500249	98.03
2	2013–14	508644	501723	98.64
3	2014–15	504960	498236	98.67
4	2015–16	495144	483755	97.70
5	2016–17 अनन्तिम	371196	340524	91.74

अप्रेल 2017से दिसम्बर 2017 की अवधि में (अनन्तिम)

(मात्रा के.एल में)

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,17	21660	15344	70.84
2	मई, 17	21660	14512	67.00
3	जून, 17	21660	13566	62.63
4	जुलाई, 17	0	712	-
5	अगस्त, 17	2020	1005	49.78
6	सितम्बर, 17	15756	1482	9.41
7	अक्टूबर, 17	15756	10413	66.09
9	नवम्बर, 17	15732	5518	35.08
10	दिसम्बर, 17	15732	9411	59.82
	योगः–	**129976**	**71963**	**55.36**

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का बजट प्रावधान

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष /उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2015–16	वास्तविक व्यय 2016–17	मूल प्रावधान 2016–17	संशोधित प्रावधान 2016–17	मूल बजट प्रावधान 2017–18
मांग संख्या : 32 : 3456– सिविल आपूर्ति, 001–निदेशन एवं प्रशासन, (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम द्वारा					
(01)– मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)	426.37	484.70	519.92	512.59	559.07
(02)– जिला कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)	1976.83	2208.64	2267.78	2249.60	2445.29
(02)– प्रभृत व्यय (आयोजना भिन्न)	4.02	0.00	0.01	0.01	0.01
(03)– उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयोजना भिन्न)	1846.69	1865.86	2195.82	1959.50	0.00
(04)– उपभोक्ता मामलात निदेशालय (आयोजना भिन्न)	16.60	16.98	25.22	19.22	20.47
(06)– उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (आयोजना भिन्न)	9.96	60.78	10.00	10.00	0.00
(07)– उपभोक्ता संरक्षण–प्रतिबद्ध राज्यनिधि					2141.65
(08)– उपभोक्ता जागरूकता–प्रतिबद्ध राज्यनिधि					10.00
3475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 106– भार एवं माप का विनियमन, (01) उपभोक्ता मामले विभाग, (01) मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)	0.00	5.16	16.24	8.23	0.00
(02)– संभाग (आयोजना भिन्न)	0.00	3.70	0.13	9.95	0.00
(03)– जिला कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)	0.00	10.20	31.96	12.50	0.00
(04)– प्रधान कार्यालय–प्रतिबद्ध राज्यनिधि					28.74
(05)– संभाग–प्रतिबद्ध राज्यनिधि					24.21
(06)– जिला कार्यालय प्रतिबद्ध राज्यनिधि					24.08
योग (दत्तमत)	**4276.45**	**4603.02**	**5067.07**	**4781.59**	**5253.51**
योग (प्रभृत)	**4.02**	0.00	0.01	0.01	0.01
आयोजना भिन्न मद की योजनाऐं:–					
3456–सिविल आपूर्ति, 102– सिविल पूर्ति योजना, 01– खाद्यान्न सम्भरण (02) वितरण –12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
—"—"53 अन्तर राशि का भुगतान	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
3456–सिविल आपूर्ति, 102– सिविल पूर्ति योजना, (02) खाद्यान्न वितरण :–					
(01)–91 अन्त्योदय अन्न योजना	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
(02)–91 बीपीएल अन्न योजना	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
(03)–91 स्टेट बीपीएल अन्न योजना	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
(04)–91 फूड स्टेम्प योजना	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
(05)–12 सहरिया–कथौडी जाति को निशुल्क खाद्यान्न	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
(06)–49 एपीएल अन्न योजना	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456–00–102–03–चल प्रयोगशाला–00–28 विविध व्यय	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
3456–00–800–90–01–28 विविध व्यय	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

3456–102–02–09–49 केरोसीन समानीकरण राशि का भुगतान	19.42	4.26	15.00	5.00	5.00
योग (आयोजना भिन्न योजनाएँ)	**19.42**	**4.26**	**15.10**	**5.10**	**5.02**
महा योग (आयोजना भिन्न योजनाएँ)	**4299.89**	**4607.28**	**5082.18**	**4786.70**	**5258.54**
आयोजना मद की योजनाएँ:–					
अन्नपूर्णा योजना :–					
3456-00-102-(01)-[04]-12	0.38	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-00-789-(01)-[01]-12	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-00-796-(01)-[01]-12	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
योग (अन्नपूर्णा)	**0.38**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.03**
राशन टिकट योजना :–					
3456-00-102-(01)-[07]-39	32.69	0.00	0.01	0.01	0.00
3456-00-789-(01)-[02]-39	12.71	0.00	0.01	0.01	0.00
3456-00-796-(01)-[02]-39	4.65	0.00	0.01	0.01	0.00
योग (राशन टिकट योजना)	**50.05**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.00**
दिव्यांगों को अन्न योजना					
3456-00-102-(02)-[07]-91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
3456-00-789-(01)-[05]-91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
3456-00-796-(01)-[05]-91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
योग (दिव्यांगों को अन्न योजना हेतु सहायता)	**0.00**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.00**
घरेलू गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी:–					
3456-00-102-(04)-[00]-91	1766.00	0.00	0.01	0.01	0.00
3456-00-789-(01)-[04]-91	467.00	0.00	0.01	0.01	0.00
3456-00-796-(01)-[04]-91	364.31	0.00	0.01	0.01	0.00
योग (घरेलू गैस पर सब्सिडी)	**2597.31**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.00**
समर्थन मूल्य पर गेंहूं खरीद पर बोनस					
3456-00-102-(01)-[02]-12	532.50	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-00-789-(01)-[07]-12	141.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-00-796-(01)-[07]-12	109.50	0.00	0.01	0.01	0.01
योग (गेंहू खरीद)	**783.00**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.03**
राशन कार्डो का कम्प्यूटराईजेशन					
3456-00-102-(01)-[08]-39	149.89	0.00	0.01	0.01	0.00
3456-00-789-(01)-[03]-39	10.53	0.00	0.01	0.01	0.00
3456-00-796-(01)-[03]-39	3.20	0.00	0.01	0.01	0.00
योग (राशन कार्ड)	**163.62**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.00**
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन					
3456-00-102-(02)-[08]-62	264.16	1699.98	286.00	1700.00	555.91
3456-00-789-(01)-[06]-62	56.86	442.99	60.00	443.00	210.94
3456-00-796-(01)-[06]-62	38.06	310.00	54.00	310.00	158.96
योग (सा.वि.प्र.कम्प्यू.)	**359.08**	**2452.97**	**400.00**	**2453.00**	**925.81**

3456-00-190-(01)-[00]-12 राज. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
5475-00-190-(03)-[00]-73 रा.रा.ना.आ.नि.लि. में पूँजी विनियोजन	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
7475-00-190-(01)-[00]-00 रा.रा.ना.आ.नि.लि. को उधार	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना					
3456-00-102-(07)-[01]-44	2054.86	3103.59	4627.92	3205.00	1314.00
3456-00-789-(03)-[02]-44	565.42	926.76	1208.00	1004.00	604.27
3456-00-796-(03)-[02]-44	514.62	642.96	879.00	691.00	439.00
3456-00-102-(07)-[02]-44	12137.96	25307.63	22598.04	25569.38	12055.70
3456-00-789-(03)-[03]-44	4345.98	6488.85	6103.23	6630.00	3052.00
3456-00-796-(03)-[03]-44	3423.77	4868.47	4457.74	4968.00	2229.00
3456-00-796-(03)-[02]-12	0.00	196.95	200.00	200.00	200.00
3456-00-001-(02)-(1&2)-& others	244.63	158.52	113.40	176.95	204.37
योग दत्तमत्त (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना)	**23287.24**	**41693.73**	**40187.33**	**42444.33**	**20098.34**
योग प्रभृत (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
बीपीएल एव अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरण					
3456-00-102-(02)-[10]-91	0.00	1971.62	0.01	1971.62	0.01
3456-00-789-(01)-[09]-91	0.00	511.00	0.01	511.00	0.01
3456-00-796-(01)-[09]-91	0.00	388.00	0.01	388.00	0.01
योग (चीनी सब्सिडी)	**0.00**	**2870.62**	**0.03**	**2870.62**	**0.03**
एपीएल परिवारों को आटा वितरण					
3456-00-102-(02)-[11]-91	10.82	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-00-789-(01)-[10]-91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-00-796-(01)-[10]-91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
योग	**10.82**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.03**
5475-00-102-(10)-[00]-72 खाद्य विभाग का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एव नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय	4.13	0.00	0.01	0.01	0.01
अन्त्योदय अन्न योजना 3456-00-102-(02)-[01]-91	185.15	0.00	0.01	0.01	0.00
उपभोक्ता मामले विभाग 3456-00-001-03 (01&02)	69.84	100.39	168.31	109.27	154.33
योग	**259.12**	**100.39**	**168.33**	**109.29**	**154.34**
3456-00-001-(01)-[03] उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	1.05	3.53	8.00	5.02	5.01
5475-00-102-(09)-[00]-17 & 72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमो का आधुनिकी, सुदृढी, नवीनी एवं उन्नयन व्यय तथा वृहद निर्माण कार्य (के.प्र.यो)	0.00	33.50	350.75	110.01	0.00
3456-00-001-(0)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता हेतु कार्यकम (के.प्र.यो)	4.47	7.82	50.00	50.00	0.00
3456-00-001-(01)-[05] (05व 62) उपभेक्ता हेल्प लाईन की स्थापना	27.18	9.15	30.01	22.07	0.00

कैरोसीन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर 3456–(102–06–01),789–02–01),(796–02–01)–91	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
5475–00–102–11–01–(17&18)– भार एवं माप	0.00	0.00	100.00	0.02	100.00
3475–00–106–01–01 (18&20&41)– भार एवं माप का विनियमन	0.00	9.38	113.00	46.93	118.00
योग	32.70	63.38	651.79	234.08	223.01
महा योग (आयोजना मद की योजनाएं)	**27543.32**	**47181.09**	**41407.73**	**48111.57**	**21401.66**
केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता) :–					
3456-00-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
5475-00-102-11-01-(17&18)- भार एवं माप	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
5475-00-102-(09)-[00]-17 & 72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमो का आधुनिकी, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय एवं वृहद निर्माण कार्य (के.प्र.यो)	0.00	33.50	350.75	110.01	630.04
3456-00-001-(01)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (के.प्र.यो)	4.47	7.82	50.00	50.00	50.00
3456-00-001-(01)-[05] (05व 62) उपभेक्ता हेल्प लाईन की स्थापना	27.18	9.15	30.01	22.07	25.01
कैरोसीन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर 3456–(102–06–01),789–02–01),(796–02–01)–91	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन					
3456-00-(102-(02)-[08]) & (789-(01)-[06]) &(796-(01)-[06])- 62	179.54	250.99	200.00	251.00	925.81
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना					
3456-00-(102-(07)-[01]) & (789-(03)-[02]) &(796-(03)-[02])- 44 3456-00-(102-(07)-[02]) & (789-(03)-[03]) &(796-(03)-[03])- 44	11521.82	20669.13	27436.96	21033.69	19693.97
योग (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	**11733.01**	**20970.59**	**28067.78**	**21466.81**	**21324.87**

राजस्व मद के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की वास्तविक आय तथा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के मूल प्रावधान एवं 2016–17 के संशोधित प्रावधान

(राशि लाखों में)

बजट मद	वास्तविक आय 2015–16	वास्तविक आय 2016–17	मूल प्रावधान 2016–17	संशोधित प्रावधान 2016–17	मूल प्रावधान 2017–18
1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 00–800–अन्य प्राप्तियां					
01-नगरीय रसद विभागों से प्राप्तियां	53.41	107.65	133.90	128.00	134.00
02- विभिन्न लाईसेन्सिग आदेशों के तहत प्राप्तियां	55.56	38.50	1.46	60.00	65.00
03- सीमेन्ट आपूर्ति एवं वितरण से प्राप्तियां	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
04-अन्य विविध प्राप्तियां					
(01) अन्य विविध प्राप्तियां	168.43	55.82	132.59	150.00	165.00
(02) खाद्य विभाग के माध्यम से	1286.90	658.58	2133.16	1256.99	1557.30
(03) पोस मशीन की लागत प्राप्ति	0.00	1955.47	0.00	0.00	0.00
(05) परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां	1824.82	798.38	1480.00	1860.00	2000.00
(06) अन्तर राशि की प्राप्तियां					
(01) खाद्यान्न की अन्तर राशि	31.69	6.52	25.00	25.00	25.00
(02) केरोसीन की अन्तर राशि	3362.46	1876.44	3015.25	3503.50	4020.00
(07) उपभोक्ता संरक्षण में परिवाद फाईल करने हेतु फीस	0.00	0.001	0.50	0.01	0.01
(50) अनुपयोगी सामानों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां					
(01) अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
(02) अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	1.21	0.70	0.30	0.70	0.70
(51)- लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम के तहत प्राप्तियां (01) दोषी कर्मचारी/अधिकारी से वसूली/प्राप्ति	0.26	0.96	0.25	0.18	0.18
योग	**6784.74**	**5499.021**	**6922.43**	**6984.40**	**7967.21**
1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, –00–106–00–00					
–बांटों और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क	1194.36	1213.18	1283.00	1278.66	1800.00

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

उपभोक्ता हैल्पलाइन – 1800 180 6030 (टोल फ्री)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर

RRSML/2017-18/RP